न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग

इजलाश श्री **सुनील कुमार झिंगोनिया** आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 **118/2008**

1–रूपकिशोर पुत्र छोटेलाल जाति ब्राह्मण निवासी जुरहरा तहसील जुरहरा (डीग) (मृतक)

1/1 शान्ति देवी बेवा रूपकिशोर (मृतक)

1/2/2 अशोर कुमार (मृतक)

1/2/1 प्रेमलता बेवा अशोक कुमार

1/2/2 नवीन शर्मा पुत्र अशोक कुमार

1/2/3 प्रवीन कुमार पुत्र अशोक कुमार

1/2/3 नीरज शर्मा पुत्र अशोक कुमार जाति ब्राहमण निवासी जुरहरा हाल आबाद बी 9 विजय बिहार नई दिल्ली 110085

1/3 सुनील कुमार

1/4 राकेश कुमार

1/5 राजेश कुमार

1/6 सीमादेवी पुत्री रूपकिशोर पत्नि किशोर कुमार जाति ब्राहमण निवासी तुलसी नगर नई दिल्ली

वादीगण

बनाम

1–भगवत सिह पुत्र बृजी (बिरजी)

2–भरतसिंह पुत्र बृजी (बिरजी)

3–भंवरसिह पुत्र बृजी (बिरजी)

4–सुगडसिंह पुत्र बृजी (बिरजी)

5–अर्जुन पुत्र भरतसिंह

6–धर्मवीर पुत्र भगवत

7–रामवीर पुत्र भगवत जातियान गूर्जर निवासी जुरहरा तहसील कामां

8–गंगादेवी पत्नि बुद्धा जाति माली निवासी जुरहरा

9–राजकुमारी उर्फ गुड्डी पुत्री बुद्धा पत्नि विष्णु शर्मा निवासी जुरहरा हाल आबाद ग्यालियर म0प्र0

प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

mifLFkr vf/koDrk

1–श्री बृजलाल शर्मा अधिवक्ता वादीगण।

2–श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांक 02.05.2024

वादीगण अधिवक्ता ने दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2257/0.20, 2258/0.12, 2730/0.17, 2731/0.21, 2723/0.26, 2725/0.10, 2727/0.04, 2728/0.04, 2732/0.18, 2733/0.37, 2734/0.23, 2739/0.05, वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय तहसील जुरहरा स्थित है। वादी के 1/2 हिस्से की व

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

चौवेराम दत्तक पुत्र बृजलाल के 1/4 हिस्से की व बाबूराम , चौबेराम, गोरधन पिसरान ग्यासी वहिस्सा बराबर 1/4 हिस्से की सम्मिलित कब्जे काश्त की व खातेदार की आराजी थी जिसका वादी एवं उपर वर्णित अन्य सहकाश्तकारों ने आपस में विभाजन कर लिया था और आराजी खसरा नम्बर 2723, 2725, 2727, 2728, 2732, 2733, 2734, 2739 नम्बरान वाहिद रूप से वादी के हिस्से व कब्जे में आये जिसके आधार पर वादी का वाहिद रूप से एवं अन्य शेष नम्बरान उपर वर्णित अन्य सहकाश्तकारों के हिस्से क कब्जे में आय जिन पर उनका वाहिद रूप से कब्जा व काश्त है और आराजी खसरा नम्बर 2257, 2258 , 2730/2731 ये नम्बरान वादी भी वाहिद रूप से कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है । जिस पर वादी वाहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर इस वक्त भी वादी का कब्जा है । प्रतिवादीगण का उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर के किसी भी नम्बर से व किसी भी हिस्से से कोई सम्बन्ध किसी किस्म का ना तो कभी रहा है तथा ना ही इस वक्त है वादी काफी बृद्ध व असहाय व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण सरजोर बाने बन्द व झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है जो बिना किसी विधिक अधिकार के जबरदस्ती लट्ठ व ताकत के बल पर वादी के हिस्से में आये कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी में मजाहमत व मदाखलत करते है तथा वादी को उसके शान्ति पूर्वक कब्जे व काश्त से जबरदस्ती बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं तथा वादी द्वारा आराजी मुतदाविया में जोती बोई फसल को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं । जिसकी बावत प्रतिवादीगण दिनांक 23.5.2008 को ऐलानियां धमकी दी है । यदि प्रतिवादीगण अपने इस इरादे में कामयाव हो गये तो वादी को ऐसी अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति जरे नकद या अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी । विदि बजह वादी प्रतिवादीगण को जरिए डिक्री हुकम इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है । वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुकम इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वे आराजी खसरा नम्बर 2257/0.20, 2258/0.12, 2730/0.17, 2731/0.21, 2723/0.26, 2725/0.10, 2727/0.04, 2728/0.04, 2732/0.18, 2733/0.37, 2734/0.23, 2739/0.05, वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय तहसील जुरहरा में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें व वादी को उसके शन्ति पूर्वक कब्जे काश्त से जबरन बेदखल कब्जा नहीं करें व आराजी मुतदाविया में वादी की बुबी किसी फसल को नष्ट भ्रष्ट नहीं करें । व ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हकूक वादी जायल हो ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण नं0 1लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव पेश किया कि वादी का आराजीयात खसरा नम्बर 2715, 1716, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2732, 2733, 2734, वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय तहसील कामां पर वादी का 1/2 हिस्सा नहीं है बल्कि 1/4 हिस्सा है क्योंकि इस आराजी परिवादी रूपकिशोर व बुद्धि उर्फ बुद्धा पिसरान छोटेलाल 1/2 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज थे इसलिए इस आराजी पर रूप रूपकिशोर का केवल 1/4 हिस्सा है और शेष 1/4 हिस्सा पर बुद्धा खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज था तथा इसी आराजी के 1/4 हिस्से पर चौबेराम दत्तक पुत्र बाबूलाल व 1/4 हिस्सा पर बाबूराम, चौबेराम , गोरधन लाल पिसरान ग्यासी का हिस्सा बराबर काबिज है बुद्धा की मृत्यु के बाद इस आराजी पर उसकी पत्नि गंगादेई व पुत्री राजकुमारी उर्फ गुड्डी काबिज हो गयी और बुद्धा की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का दाखिल खारिज 335 वाके ग्राम जुरहरा पर बुद्धा की जगह की पत्नी गंगादेई व पुत्री राजकुमार उर्फ गुड्डी के नाम पटवारी हल्का द्वारा दाखिल खारिज दर्ज किया गया था किन्तु वादी ने ग्राम पंचायत जुरहरा से सांठगांठ कर उक्त आराजी का दाखिल खारिज नम्बर 335 गलत एवं फर्जी रूप से वादी ने अपने नाम तस्दीक करा लिया जिसकी अपील गंगादेई व राजकुमारी ने न्यायालय के यहा पेश की थी । जिसे श्रीमान जी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

स्वीकार किया जाकर बुद्धा उर्फ बुद्धि की विरासत का दाखिल खारिज तस्दीक करने का आदेश दिया दाखिल खारिज नम्बर 335 के आदेश की फोटो प्रति सलग्न है किन्तु वादी द्वारा सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के यहां अपील पेश कर स्थगन आदेश लेने के कारण उक्त आराजी का दाखिल खारिज गंगादेई व राजकुमार उर्फ गुड्डी के नाम तस्दीक नहीं हो सका । इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 2257, 2258, 2730, 2731 वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय पर भी वादी का वाहिद रूप से काबिज नहीं है बल्कि वादी का इस आराजी में केवल 1/2 हिस्सा है वादी का यह कहना कि वादी वाहिद रूप से इन नम्बरान पर काबिज है बिल्कुल गलत है वादी केवल 1/2 हिस्से पर काबिज है व शेष 1/2 हिस्से पर वादी का भाई मरने से पूर्व काश्त करता था और उसके मरने के बाद अब इन नम्बरान 1/2 हिस्से पर बुद्धा उर्फ बुद्धि की पत्नी गंगादेई व पुत्री राजकुमारी उर्फ गुड्डी काबिज रहकर काश्त कर रही है । इसी प्रकार ग्राम पाई में भी वादी का उसके भाई बुद्धा उर्फ बुद्धि की आराजी खसरा नम्बर 518/0.46, 520/0.30 (जमाबन्दी संख्या 256 रकवा 0.76) में भी दोनो भाईयों का 1/2 व 1/2 हिस्सा था अर्थात वाहिस्सा बराबर काबिज थे अपने जीवनकाल में बुद्धा उर्फ बुद्धि इस ग्राम पाई की आराजी के 1/2 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता था और उसके मरने के बाद उसके 1/2 हिस्से की आराजी पर उसकी पत्नी गंगादेई व पुत्री राजकुमारी उर्फ गुड्डी के नाम विरासत का दाखिल खारिज नम्बर 1927 से खोला जा चुका है जिस बावत वादी ने अपने वाद पत्र में कोई तथ्य अंकित नहीं किया है । जकि इस आराजी का वयनामा भी गंगादेई व राजकुमार उर्फ गुड्डी द्वारा प्रतिवादी नम्बर दो की पत्नी लीला को दिनांक 30.1.2006 को सब रजिस्ट्रार कामां के तस्दीक किया जा चुका है वाद पत्र में इन तथ्यों को दर्ज नहीं करना वादी का बदयान्ती को जाहिर करता है । वादी का आराजी मुतदाविया जिस पर वादी ने अपना वाहिद रूप से कब्जा बताया है व जिसका वर्णन वाद पत्र की मद नम्बर दो व तीन में है वह गलत है वादी का इस आराजी में जिस पर वह वाहिद रूप से कब्जा व काश्त बताता है 1/2 हिस्सा है शेष 1/2 हिस्से पर बुद्धा काश्त करता था और बुद्धा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी गंगादेई व पुत्री राजकुमारी उर्फ गुड्डी काबिज रहकर काश्त कर रही है । प्रतिवादीगण द्वारा कोई धमकी वादी को नहीं दी गयी और न ही धमकी देने का प्रश्न ही पैदा होता और ना ही प्रतिवादीगण वादी के 1/2 हिस्से जिस पर वह काबिज है बुद्धा उर्फ बुद्धि के हिस्से को छोडकर कोई मदाखलत व मजाहमत कर रहे हैं बल्कि सही बात यह है कि वादी चालाक किस्म का आदमी है और वह जबरदस्ती बुद्धा उर्फ बुद्धि के हिस्सो को हडपना चाहता है । चूंकि बुद्धा की पत्नी गंगादेई व पुत्री राजकुमार उर्फ गुड्डी ने बुद्धा के हिस्से में आई आराजी को प्रतिवादी नम्बर दो भरतसिंह को आधे बट पर दे रखा है और वह इनकी तरफ से आधे बट पर काश्त कर रहा है और वादी रूपकिशोर इस आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है इसलिए वादी रूपकिशोर इस आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है । इसलिए वादी रूपकिशोर ने भरतसिंह प्रतिवादी सं0 2 के साथ उसके भाइयों को भी जबरदस्ती तंग व परेशान करने उददेश्य से दावा में पक्षकार बना दिया है । जबकि उक्त मृतक बुद्धा उर्फ बुद्धि की आराजी को केवल प्रतिवादी नम्बर दो ही आधे बट पर काश्त करता है इसके अलावा प्रतिवादीगण का आराजी मुतदाविया से कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है वादी प्रतिवादीगण को मुकदमें बाजी में फसाकर बुद्धा के हिस्से की आराजी पर कब्जा करना चाहता है । क्योंकि बुद्धा की पत्नी बृद्ध औरत है और उसको बादी ने घर से बाहर निकाल दिया है जिसको प्रतिवादी सं0 दो ने अपने यहां किराये पर मकान दे रखा है इसलिए वादी प्रतिवादी नं0 दो से चिढता है और इसी कारण वादी ने यह दावा प्रतिवादी सं0 के साथ उसके भाईयो को सम्मिलित करते हुए झूठे तथ्यों के साथ पेश किया है । दाखिल खारिज नम्बर 335 जो वादी ने सरंपच ग्राम पंचायत सचिव जुरहरा इत्यादि से मिलकर अपने पक्ष मे तस्दीक करया था उसका मुकदमा गंगादेई ने थाना जुरहरा इत्यादि से मिलकर अपने पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

स्दीक कराया था उसका मुकदमा गंगादेई ने थाना जुरहरा पर एफ आई आर नम्बर 84/06 अन्तर्गत धारा 420, 467, 471, 120 बी आई पी सी में दर्ज कराया था जिसमें न्यायालय श्रीमान ए सी जे एम डीग के यहा वादी रूपकिशोर पटवारी हल्का ग्राम जुरहरा रमेश रामबाबू सरंपंच ग्राम पंचायत जुरहरा व रामस्वरूप के खिलाफ धारा 420 120 बी आई पी सी में प्रसंज्ञान लिया गया है इस समय न्यायालय में विचाराधीन है जिससे भी वादी की बदयान्ती व फर्जकारी झलकती है । और इस तथ्य व अन्य तथ्यों को जिनका वर्णन हमने जबाव में पेश किया है उन्हे वादी ने न्यायालय के समझ छिपाया है । जिससे पता चलाता है कि वादी चालाक किस्म का आदमी है और येन केन प्रकरण में मृतक बुद्धा उर्फ बुद्धि की आराजी जो विरासत में उसकी पत्नी गंगादेई व राजकुमारी उर्फ गुड्डी को मिली थी उसको हडपना चाहता है । अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावे ।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजात शमिल किये गये । नकल जमाबन्दी सं0 2061–2064, Exp 1] नकल फैसला डिग्री ए.डी.जे. न्यायालय डीग नं0 2 दिनांक 31.10.2011, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट डीग दिनांक 26.04. 2013, नकल दाखिल खारिज नं0 673 वाके ग्राम जुरहरा Exp 2 नकल फैसला जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 12.9.2014।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा निम्न दस्तावेजात शामिल किये गये है :–

नकल स्टे हाई कोर्ट जयपुर, नकल अपील हाई कोर्ट जयपुर, नकल आदेश अति0मुख्य न्यायाधीश डीग, नकल प्रार्थना पत्र 212(2), नकल अपील

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई ।

1– आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्मनाई से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है ।

2– दादरसी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजात का मनन किया । बहस अधिवक्ताओं को सुना । वादी अधिवक्ता द्वारा तनकी बाइज लिखित बहस पेश की है । विवादित आराजी मुतदाविया ग्राम जुरहरा द्वितीय तहसील कामां में स्थित है । जिस पर वादी वहैसियत रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है ।खसरा नम्बर 2715, 1716, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2732, 2733, 2734, वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय चौबेराम दत्तक पुत्र बृजलाल 1/4 हिस्सा बाबूराम चौबेराम गोरधन लाल 1/4 हिस्सा बुद्धा रूपकिशोर पिसरान छोटेलाल वाहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा की खातेदारी की जमीन थी बुद्धा पुत्र छोटेलाल के गुजर जाने के बाद उसके 1/4 हिस्से पर विरासतन दाखिल खारिज नं0 335 से वादी खातेदार दर्ज हुआ वादी बाबूराम चौबेराम व गोरधन लाल ने अपनी सामलाती आराजी का आपस में विभाजन कर लिया । और उस विभाजन में जरिये इन्तकाल नं0 673 से आराजी खसरा नम्बर 2723, 2725, 2727, 2728, 2732, 2733, 2734, 2739 वाहिद रूप से कब्जे काश्त व खातेदारी में आये । जिन पर वादी वाहिद रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज है । प्रतिवादी भगवत वगैरा का वादी की खातेदारी आराजी से किसी प्रकार कोई सम्बन्ध नहीं रहा है परन्तु प्रतिवादी मंगल माली की पत्नी गंगादेई व उसकी पुत्री राजदुलारी की आड में आराजी मुतदाविया पर झगडा करते है । वादी गंगादेई व राजदुलारी के खिलाफ ग्राम पाई की आराजी बावत न्यायालय में खातेदारी का दावा रूपकिशोर बनाम गंगादेई का पेश कर रखा है जो पृथक से विचाराधीन चल रहा है जिससे सबब रूपकिशोर बनाम गंगादेई वगैरा के दावा की तनकीयात का विवेचन वाद निर्णय हेतु आवश्यक है ।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जबाव में लिखित तथ्यों को दोहराया । वादी का आराजीयात खसरा नम्बर 2715, 1716, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2732, 2733, 2734, वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय तहसील कामां पर वादी का

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

/2 हिस्सा नहीं है बल्कि 1/4 हिस्सा है क्योंकि इस आराजी परिवादी रूपकिशोर व बुद्धि उर्फ बुद्धा पिसरान छोटेलाल 1/2 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज थे इसलिए इस आराजी पर रूप रूपकिशोर का केवल 1/4 हिस्सा है और शेष 1/4 हिस्सा पर बुद्धा खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज था तथा इसी आराजी के 1/4 हिस्से पर चौबेराम दत्तक पुत्र बाबूलाल व 1/4 हिस्सा पर बाबूराम, चौबेराम , गोरधन लाल पिसरान ग्यासी का हिस्सा बराबर काबिज है बुद्धा की मृत्यु के बाद इस आराजी पर उसकी पत्नि गंगादेई व पुत्री राजकुमारी उर्फ गुड्डी काबिज हो गयी और बुद्धा की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का दाखिल खारिज 335 वाके ग्राम जुरहरा पर बुद्धा की जगह की पत्नी गंगादेई व पुत्री राजकुमार उर्फ गुड्डी के नाम पटवारी हल्का द्वारा दाखिल खारिज दर्ज किया गया था किन्तु वादी ने ग्राम पंचायत जुरहरा से सांठगांठ कर उक्त आराजी का दाखिल खारिज नम्बर 335 गलत एवं फर्जी रूप से वादी ने अपने नाम तस्दीक करा लिया जिसकी अपील गंगादेई व राजकुमारी ने न्यायालय के यहा पेश की थी । जिसे श्रीमान जी द्वारा स्वीकार किया जाकर बुद्धा उर्फ बुद्धि की विरासत का दाखिल खारिज तस्दीक करने का आदेश दिया दाखिल खारिज नम्बर 335 के आदेश की फोटो प्रति सलग्न है किन्तु वादी द्वारा सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के यहां अपील पेश कर स्थगन आदेश लेने के कारण उक्त आराजी का दाखिल खारिज गंगादेई व राजकुमार उर्फ गुड्डी के नाम तस्दीक नहीं हो सका । इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 2257, 2258, 2730, 2731 वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय पर भी वादी का वाहिद रूप से काबिज नहीं है बल्कि वादी का इस आराजी में केवल 1/2 हिस्सा है । इसी प्रकार ग्राम पाई में भी वादी का उसके भाई बुद्धा उर्फ बुद्धि की आराजी खसरा नम्बर 518/0.46, 520/0.30 (जमाबन्दी संख्या 256 रकवा 0.76) में भी दोनो भाईयों का 1/2 व 1/2 हिस्सा था अर्थात वाहिस्सा बराबर काबिज थे अपने जीवनकाल में बुद्धा उर्फ बुद्धि इस ग्राम पाई की आराजी के 1/2 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता था और उसके मरने के बाद उसके 1/2 हिस्से की आराजी पर उसकी पत्नी गंगादेई व पुत्री राजकुमारी उर्फ गुड्डी के नाम विरासत का दाखिल खारिज नम्बर 1927 से खोला जा चुका है जिस बावत वादी ने अपने वाद पत्र में कोई तथ्य अंकित नहीं किया है । जकि इस आराजी का वयनामा भी गंगादेई व राजकुमार उर्फ गुड्डी द्वारा प्रतिवादी नम्बर दो की पत्नी लीला को दिनांक 30.1.2006 को सब रजिस्ट्रार कामां के तस्दीक किया जा चुका है वाद पत्र में इन तथ्यों को दर्ज नहीं करना वादी का बदयान्ती को जाहिर करता है । दाखिल खारिज नम्बर 335 जो वादी ने सरंपच ग्राम पंचायत सचिव जुरहरा इत्यादि से मिलकर अपने पक्ष मे तस्दीक करया था उसका मुकदमा गंगादेई ने थाना जुरहरा पर एफ आई आर नम्बर 184/06 अन्तर्गत धारा 420, 467, 471, 120 बी आई पी सी में दर्ज कराया था जिसमें न्यायालय श्रीमान ए सी जे एम डीग के यहा वादी रूपकिशोर पटवारी हल्का ग्राम जुरहरा रमेश रामबाबू सरंपंच ग्राम पंचायत जुरहरा व रामस्वरूप के खिलाफ धारा 420 120 बी आई पी सी में प्रसंज्ञान लिया गया है इस समय न्यायालय में विचाराधीन है जिससे भी वादी की बदयान्ती व फर्जकारी झलकती है । और इस तथ्य व अन्य तथ्यों को जिनका वर्णन हमने जबाव में पेश किया है उन्हे वादी ने न्यायालय के समझ छिपाया है । जिससे पता चलाता है कि वादी चालाक किस्म का आदमी है और येन केन प्रकरण में मृतक बुद्धा उर्फ बुद्धि की आराजी जो विरासत में उसकी पत्नी गंगादेई व राजकुमारी उर्फ गुड्डी को मिली थी उसको हडपना चाहता है । अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावे ।

तनकी बार निर्णय निम्न प्रकार से है

1– आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्मनाई से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है ।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

तनकी बार निर्णय इस प्रकार से है कि खसरा नम्बर 2715, 1716, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2732, 2733, 2734, वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय चौबेराम दत्तक पुत्र बृजलाल 1/4 हिस्सा बाबूराम चौबेराम गोरधन लाल 1/4 हिस्सा बुद्धा रूपकिशोर पिसरान छोटेलाल वाहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा की खातेदारी की जमीन थी बुद्धा पुत्र छोटेलाल के गुजर जाने के बाद उसके 1/4 हिस्से पर विरासतन दाखिल खारिज नं0 335 से वादी खातेदार दर्ज हुआ वादी बाबूराम चौबेराम व गोरधन लाल ने अपनी सामलाती आराजी का आपस में विभाजन कर लिया । और उस विभाजन में जरिये इन्तकाल नं0 673 से आराजी खसरा नम्बर 2723, 2725, 2727, 2728, 2732, 2733, 2734, 2739 वाहिद रूप से कब्जे काश्त व खातेदारी में आये । बुद्धा की मृत्यु के पश्चात आदिनांक तक जमाबंदी (Record of Right) में रूपकिशोर का नाम 1/2 आराजी पर दर्ज चला आ रहा है। साथ ही प्रतिवादी ने भी जबाव दावे में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी का नाम आदिनांक तक जमाबन्दी (Record of Right) में कभी भी दर्ज नहीं रहा है। अतः वादी वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार है । वादी को विवादित आराजी के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। अतः दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

–:: आदेश ::–

अतः आदेश दिया जाता है कि दावा वादी अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 2257/0.20, 2258/0.12, 2730/0.17, 2731/0.21, 2723/0.26, 2725/0.10, 2727/0.04, 2728/0.04, 2732/0.18, 2733/0.37, 2734/0.23, 2739/0.05, वाके ग्राम जुरहरा द्वितीय तहसील जुरहरा में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें व वादी को उसके शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त से जबरन बेदखल कब्जा नहीं करें । डिक्री तैयार की जावे। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां
(डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग) राज०